न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.
राजस्व वाद पत्र संख्या :–2019/00006

पत्रावली आज जरिये वकील प्रा0पत्र बाबत् पत्रावली विड्रॉ के आधार पर निस्तारण पर पेशी में ली गई। प्रा0पत्र में प्रार्थीया गीतांजली व सुषमादेवी ने निवेदन किया कि वादी विजयकुमार फौत हो चुका है। इसलिए प्राथी के वारिस वादपत्र को आगे नहीं चलाना चाहते है। लोक अदालत की भावना से विड्रॉ करन चाहते है। साथ ही इन दोनो प्रार्थीगण का वकालतनामा वकील श्री सीताराम तेतरवाल ने पेश किया जो शा0मि0। दोनो प्रार्थीगण ने शपथपत्र भी पेश किया कि वादी विजयकुमार फौत हो चुके है और इनके हम 3 ही जायज वारिज है जिसमें हम दो उपस्थित व तीसरा सहहिस्सेदार दिपांशु शर्मा की सहमति से ही वादपत्र विड्रॉ कर रहे है। भविष्य में दिपांशु कभी आपत्ति करें तो उसकी तमाम जिम्मेदारी हम मिकरान की होगी। अतः प्रार्थीगण (वादी के वारिस) व अधिवक्ता (वादी) के निवेदन पर पत्रावली व प्रस्तुत प्रा0पत्र शपथपत्र पर अवलोकन मनन किया जाकर यह पत्रावली प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार करते हुवे इसी स्तर पर विड्रॉ के आधार पर खारिज की जाती है। साथ ही दिनांक 29.05.19 व 30.01.2020 का स्थगन आदेश भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।